राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2639/2011/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन–तृतीय,
राजस्थान, जयपुर। ...अपीलार्थी

बनाम

मै. किशोर सिंह पुत्र श्री मोती सिंह,
निवासी करौली तहसील कोटपुतली,
वाहन चालक वाहन सं. आरजे–02/जी–4729
वाहन स्वामी राजेन्द्र यादव निवासी बहरोड .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री सी.एल.शर्मा
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.04.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) अलवर–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, भिवाडी (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 44/आरवेट/09–10/उपा/अपील्स/अल–II/भिवाडी में पारित आदेश दिनांक 11.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय राज0, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2009 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(9) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 43,650/– को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.2008 को चांदपोल रोड़ पर वाहन संख्या आर.जे.–02/जी–4729 को रोक कर चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में व्यवहारी फर्म के 14" रंगीन टीवी के 27 नग एवं 21" रंगीन टीवी के 12 नग लदे पाये गये जिसे जयपुर परिवहनित किया जा रहा था। जांच के समय वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मै. बंसल रोड लाईन्स, बहरोड की बिल्टी/जी.आर.नं. 1701, मै. जय अम्बे स्टील फर्नीचर, बहरोड का बिल/चालान नं. 149 दिनांक 27.12.08 कीमतन रू 1,15,950/– जो फर्म मै. जय अम्बे स्टील फर्नीचर, संसार चन्द्र रोड, जयपुर ब्रान्च को जारी था, प्रस्तुत किये। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच एवं परिवहनित

लगातार.....2

माल का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया जिसमें प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम दृष्टया असत्य एवं कूटरचित प्रतीत होने के कारण करापवंचन के सन्देह में व्यवहारी को धारा 76(6) एवं 76(9) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नियत तिथि को व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर चालान बुक पेश की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा चालान बुक में तथाकथित चालान नं. 149 की कॉर्बन प्रति का मिलान वक्त जांच प्रस्तुत मूल चालान से किये जाने पर मौजूदा कार्बन प्रति की लिखावट में अन्तर पाये जाने एवं व्यवहारी द्वारा नोटिस की पालना में प्रस्तुत जबाब असंतोषजनक, भ्रामक एवं आधारहीन होने के कारण इसे अस्वीकार करते हुए दस्तावेज असत्य एंव कूटरचित प्रतीत होने पर अपीलार्थी की करापवंचन की मंशा मानते हुए धारा 76(9) के अन्तर्गत शास्ति रू 43,650/– आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। इन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से वाहन पर शास्ति आरोपित की गई है। धारा 76(9) में वाहन पर शास्ति उस स्थिति में ही आरोपित की जा सकती है यदि वाहन चालक द्वारा धारा 76(2) में वर्णित प्रावधानों की अवलेहना की गई हो जबकि उक्त प्रकरण में वाहन चालक द्वारा धारा 76(2)(ए) के प्रावधानानुसार सबसे नजदीक चैकपोस्ट पर वाहन को रोका गया है तथा धारा 76(2)(बी) के प्रावधानानुसार परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेज भी संलग्न थे एवं धारा 76(2)(सी) के प्रावधानानुसार वाहन चालक ने सक्षम अधिकारी के कहने पर परिवहनित माल से सबंधित समस्त वांछित दस्तावेज पेश कर दिये थे। इसके अलावा धारा 76(2)(डी) के प्रावधानानुसार परिवहनित माल से संबंधित चाही गई समस्त सूचना सक्षम अधिकारी को दी गई है तथा धारा 76(2)(ई) के प्रावधानानुसार वाहन चालक ने सक्षम अधिकारी को माल की जांच निर्बाध रूप से करने दी है। चूंकि उक्त प्रकरण में न तो वाहन चालक द्वारा बैरियर तोडा गया है न ही वाहन भगाया गया है, न ही वांछित दस्तावेज/सूचना पेश करने में किसी प्रकार की आनाकानी की है तथा न ही किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया है। अतः बिना उचित कारण के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में धारा 76(9) में वाहन पर शास्ति आरोपित किया जाना

लगातार.....3

न्यायसंगत नहीं है। केवलमात्र इस कोरी कल्पना के आधर पर कि वाहन को दिल्ली से आता हुआ मानकर मनमाने ढंग से धारा 76(9) में वाहन पर शास्ति का आरोपण करना सर्वथा अनुचित एवं अविधिक है। उक्त क्रम में विद्वान अभिभाषक ने माननीय कर बोर्ड द्वारा स.वा.क.अ., उडनदस्ता बनाम मै. भागीरथ देवाराम जाट, जोधपुर की अपील सं. 481/03/जोधपुर के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 31.07.09 को हवाला दिया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि "That penalty has U/s 78(10)(a) can not be imposed on a technical default unless mensrea for Tax evasion. उक्त तथ्य के आधार पर विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकार मनमाने ढंग से शास्ति आरोपित करना नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से गलत होने के कारण इसे अपास्त करने का अनुरोध किया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त चैकिंग परिवहनित माल रंगीन टीवी से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेजों एवं ट्रांसपोर्टर के हलफॅनामें में वर्णित तथ्यों की स्वतन्त्र जांच नहीं की गई है जबकि वाहन चालक द्वारा उक्त प्रकरण में धारा 76(2) में वर्णित प्रावधानों की पूर्ति पालना की गई है। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन को रूकवाये जाने पर वाहन चालक ने वाहन को रोक कर माल से संबंधित सम्पूर्ण दस्तोवज पेश किये है। सक्षम अधिकारी द्वारा चेकपोस्ट पर उक्त वाहन के इन्द्राज संबंधी कोई जांच नहीं की गई है तथा धारा 76(2) में कोई अपराध सिद्ध नहीं किया गया है तथा अनुमान के आधार पर उक्त वाहन को दिल्ली से आता हुआ माना गया है। उक्त प्रकरण में बिना किसी सबूत के सक्षम अधिकारी द्वारा कल्पना के आधार पर ही उक्त वाहन द्वारा धारा 76(2) की अवहेलना किया जाना मानकर इस पर धारा 76(9) में शास्ति रू 43,650/– आरोपित की गई है जो कि न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य